न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	17/21	2021/38	03.09.2021	सरकार बनाम संतोष व अन्य	17.03.2026	1 लगायत 7

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 17/2021 (2021/38)

उनवान प्रकरण

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री रामसहाय अग्रवाल उम्र लगभग 58 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक) फर्म–अरविन्द कुमार मुकैश कुमार, पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी शुक्ल चीलानी नहर रोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।
2. शशी कपूर पुत्र श्री मानकबन्द कपूर जाति कपूर (Director) फर्म – LOTUS DAIRY PRODUCTS PVT- LTD- 5th 6 th 7 th Floor, City Plaza, Jhotwara Road, Banipark, Jaipur–302016 निवासी 11–31 Falguni Apartments] Opp- Model Town- B-R- Road] Mumbai (Maharashtra)–400080
3. अशोक कुमार मोदी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मोदी जाति मोदी (Director)LOTUS DAIRY PRODUCTS PVT- LTD- 5, 6 7जी Floor, City Plaza, Jhotwara Road, Banıpark, Jaipur–302016 निवाली A-21 Sadul Ganj, Bikaner (Rajasthan)-334001
4. फर्म–LOTUS DAIRY PRODUCTS PVT- LTD- 5 th 6 th 7th Floor, City Plaza, Jhotwara Rood, Banipark, Jaipur-302016-जदिए – (Directors) -अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत पारा 28 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आ[illegible] सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.01.2021 को लगभग 03.00 पी एम पर खाद्य पदार्थों की [illegible] हेतु फर्म–अरविन्द कुमार

अतिरिक्त जिला [illegible] गंगापुर सिटी

मुकेश कुमार गुरुंनी अनाज मण्डी मंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर पर दौराने गस्त निरीक्षण हेतु पहुंचों। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामसहाय अग्रवाल उम्र लगभग 58 वर्ष जाती महाजन बताया व स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मैंने सतोष कुमार अग्रवाल को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया संतोष कुमार अग्रवाल अपनी डेयरी /दुकान पर दूध, धी पनीर रसगुल्ले राजभोग व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विकय करता है। आवेदक ने संतोष कुमार अग्रवाल से डेयरी / दुकान का वर्ष 2021 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्सरजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने फर्म का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वय का फोटो पहचान पत्र मुझे दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय डेगरी / दुकान के विकार परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक के एक ही बैच के 12–12 पैक 12 कार्टूनों रखे हुए थे। कार्टूनों में रखे हुए खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक का निरीक्षण करने पर उसमे मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व डेयरी मालिक संतोष कुमार अग्रवाल से उक्त खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक का शुद्धता व लेबल की जाँच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैंने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी पर एक कार्टून ने रखे हुए खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक को पैकिटों में से 4 पेकिट शुद्धता व लेबल की जाँच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 650/–रूपये अक्षरे छः सौ छप्पन रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करने पर मैने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1 25 किलोग्राम पैक के चारों पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनाक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग अटैच कर पैकिटों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर, पेपर के सिरी की गोंद से चिपकाकर पैकिटों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर रिला मय कोड नम्बर एच –1980 गोद से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर, प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाधकर चार–चार जगह चपड़ी से सील मोहर करके चारों पैकिटों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहात के हस्ताक्षर करवाकर मैने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द [illegible] लिया। मौके पर मौजूद विक्रेता वः फर्म मालिक संतोष कुमार अग्रवाल से उ[illegible] खाद्य[illegible] के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने फर्म–LOTUS DAIRY PRODUC[illegible] LTD- जयपुर द्वारा जारी टैक्स इन्वॉइस सख्या BA-GST-21615 दिनांक [illegible] दिखाया एवं बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

कि मैने उक्त नमूने का माल इसी बिल के जरिये खरीदा है। खरीद बिल की एक प्रति मुझ दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छ प्रतियों तैयार की जिस पर उक्त सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कबर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद अशलम् बार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 06:012021 की मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहीं जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। नमूने वो दो सील बन्द पैकिट (i व ii) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द पैकिट (IV पाट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रत्ति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनाक 06.01.2021 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त को न्यायनिर्णय के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने रजिस्टर्ड पत्र कमाक/एफएसएसए/2021/178 दिनाक 29.01.2021 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विषलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/42/एक्ट/2021/157 दिनांक 18.01.2021 खाद्य कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(z)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया। मूल पत्र मय रजिस्ट्री रसीद व प्रयोगशाला जॉच रिपोर्ट मूल तथा एफबीओ को जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने की डाक विभाग की ऑनलाईन प्राप्ति रसीद की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में विकेता/खाद्य कारोबारकताओं ने मिथ्याछाप (Misbranded Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु राजमोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उलंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप (Misbranded Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु राजमोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण को जो नोटिस जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, वह न्यायोचित नहीं है तथा गलत एवं मिथ्या होने के कारण प्रार्थीगण पर बाध्य नहीं है और काबिले निरस्त है, क्योंकि नमूना लेते वक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो फार्म नं0 5 ए बनाया था, उसमें तथा फर्द रिपोर्ट में नमूने में लिये गये खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्राण्ड) के पैकिटों पर किसी किस्म के मिसब्राण्ड होने का शक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जाहिर नहीं किया गया था तथा जांच रिपोर्ट में नमूना मानक स्तर का पाया गया है, केवल मात्र खाद्य विश्लेषक द्वारा बिना किसी आधार के नमूने को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है, ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने में लिये गये खाद्य पदार्थ राजभोग (लोटस ब्राण्ड) के पैकिट का मूल लैबल परिवाद पत्र के साथ न्यायालय में पेश किया है। अभिहित अधिकारी द्वारा भी धारा 32 एफएसएस एक्ट की पालना नहीं की गई है, जिसमें कि अभिहित अधिकारी द्वारा धारा 32 के अर्न्तगत प्रार्थीगण को इन्प्रूवमेन्ट नोटिस नहीं दिया गया है कि , नमूने के पैकिट के लैबल में कोई कमी है। एफएसएसएआई द्वारा दिनांक 17.07.2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि मिसब्राण्ड के प्रकरणों को जो कि माईनर लैबलिंग डिफेक्ट की श्रेणी में आते है, का निस्तारण धारा 32 एफएसएस एक्ट द्वारा किया जाना बताया है। दिनांक 17.07.2018 के नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त आवेदन पत्र में फूड एनालिस्ट की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नमूने को मिसब्राण्ड माना है, जबकि मिसब्राण्ड के लिये फूड एनालिस्ट की राय की आवश्यकता नहीं होती है। जैसाकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2018 (1) FAC Page 253 Bhole Baba Industries (Dholpur)& Another Versus State of Rajasthan & Another में निर्णित किया है कि It was not within domain of the public analyst to make a report of the sample being misbrand तथा ऐसा ही माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 2009 (2) एफएसी पेज 199 P- Robert Immanuel & Another Versus The State Represented by the Food Inspector में निर्णित किया है कि No adulteration but found misbranded Misbranding of lable does not require Public Analyst opinion & Petition not liable for prosecution तथा मिसब्राण्ड के बारे में मौके के कागजों में नहीं लिखा होने पर प्रार्थीगण के खिलाफ मामला नहीं चल सकता है, जैसाकि माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2009 (1) FAC Page 150 Kulbir Sharma Versus State of H-P- में निर्णित किया है कि The Food Inspector why picking of the sample did not mention in panchnama that nothing was mentioned on lable of the packet as opined by the Public Analyst- The allegation of misbranding also stand not proved. इस कारण से प्रार्थीगण के खिलाफ नमूने में मिसब्राण्ड के लिये अभियोजन की काय[illegible] चल सकती है।

खाद्य विश्लेषक के कार्य एवं कर्तव्य [illegible]एस.एस. एक्ट एवं नियमों में वर्णित हैं, जिनके अनुसार खाद्य विश्लेषक [illegible] एफएसएसएस एक्ट के तहत भेजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

गये नमूने की जांच कर, जांच रिपोर्ट चार प्रतियों में जांच के तरीकों का उल्लेख कर, जारी करनी होती है तथा नियम 2.4.2 एफ.एस.एस. नियमों के तहत Form No- VII A में जांच रिपोर्ट जारी करनी होती है। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक ने Form No- B में जांच रिपोर्ट जारी की है, जो फोरमेट सही नहीं है और सही फोरमेट में रिपोर्ट जारी नहीं किये जाने के कारण जांच रिपोर्ट मान्य नहीं मानी जा सकती है और उक्त परिवाद ऐसी जांच रिपोर्ट पर नहीं चल सकता है और निरस्त किये जाने योग्य है। परिवाद स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, जयपुर–राजस्थान की जांच रिपोर्ट के आधार पर दायर किया गया है। उक्त लेबोरेटरी धारा 3 (पी) सपठित धारा 43 एफ.एस.एस. एक्ट के तहत NABL प्रत्यायित लेबोरेटरी नहीं है, ना ही मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी है और ना फूड ऑथोरिटी द्वारा नोटिफाईड लेबोरेटरी है, जिस कारण से उन अभाव में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है तथा प्रश्नगत जांच रिपोर्ट पर परिवाद चलने योग्य नहीं है और परिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जैसाकि 2015 (2) एफएसी पेज 56 मैसर्स नेशनल इण्डिया लिमिटेड बनाम दी फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में निर्णित किया गया है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 37 सपठित नियम 2.1.3 एफ.एस.एस. नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था, ना ही क्वालिफाईड था, इस कारण से जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी / परिवादी विधिवत् रुप से नियुक्ति की योग्यता नहीं रखता था और ना ही क्वालिफाईड था तो उसके द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही तथा उसके बाद की कार्यवाहियाँ एवं परिवाद पेश करने की कार्यवाही अवैध हो जाती है। अभियोजन स्वीकृति अभिहित अधिकारी द्वारा जारी की गई है, वह एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 36 सपठित नियम 2.1.2 एफ.एस.एस. नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था, ना ही क्वालिफाईड था, इस कारण से जो स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की गई है, वह अवैध है। स्वीकृति भी मैकेनिकल वे में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये एवं बिना जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये जारी की गई है, क्योंकि स्वीकृति में स्वीकृति अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि, नमूने में क्या कमी पायी गई है, ना ही स्वीकृति में स्वीकृति जारी करने के कारण ही दर्शाये गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वीकृति बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी की गई है, इस कारण से भी प्रार्थीगण के विरुद्ध मामला निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्तगण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विषलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/42/एक्ट/2021/157 दिनांक 18.01.2021 निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु.नं0 17/21 (2021/38) सरकार बनाम संतोष व अन्य

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S. / 42 / Act / 2021/ 157 **Date: 18-01-2021**

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from, **Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur** a sample of **"Rajbhog (Lotus Brand)"** bearing Code number and Serial number **H-1980** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on **06-01-2021** for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be **"Rajbhog Chhena Sweets"** falling under Regulation **No. 2.12.1** of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additives) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on **11-01-2021 to 18-01-2021** and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed wide mouth tin container packing of 1.25kg.

(2) Physical appearance : - Yellow coloured soft spongy Rajbhog sweets dipped in sugar solution.

(3) Label : -

Brand name	: - Lotus Bikaneri Rajbhog
Batch No.	: - (B) CDWM
Date of Mfg. / Pkg.	: - SEP 2020
Best before	: - 6 months form manufacture
Symbol for Veg. / Non veg.	: - Green symbol given.
Ingredients	: - Sugar, Potable Water, Milk Solis, Cardamom Powder, Saffron,

Pistachio. Given on the label of sample but the specific name or INS No. of synthetic food colours used in the product not mentioned on the label of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2(5)(ii) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation, 2011.

Nutritional information	: - Given.
Name & Address of Mfr. /Pkr.	: - Modi Dairy, Khasra No. 258, Jaipur-Jodhpur Bypass, Shivbari, Bikaner-334005 (Raj). FSSAI Lisence No. : - 10015013001010

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Test for added Starch.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	Negative.	Negative.
2.	Test for added Sugar.	----do----	Positive.	Positive.
3.	Test for added Urea.	----do----	Negative.	Negative.
4.	Test for Neutralizer	----do----	Negative.	Negative.
5.	Test for Saccharin.	----do----	Negative.	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added colouring matter.	----do----	Permitted water Soluble synthetic food colour Tartrazine (35mg/kg) and Sunset yellow FCF (11mg/kg) found present. (not declared on the label)	Maximum (100mg/kg) for individual permitted colour as per Regulation No. 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.

Opinion- The sample of **"Rajbhog (Lotus Brand)"** bearing Code No. and Sr. No **H-1980** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is **Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)** of Food Safety and Standards Act, 2006.

Signed this 18th day of January 2021

Food Analyst
(Authorized Signatory)
(Karan Singh Tanwar)
Food Analyst, Rajasthan
Central Public Health Laboratory
Rajasthan, Jaipur

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य [illegible] राजभोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक मिथ्याछाप **(Misbranded Food)** प्रकृति **"Permitted water Soluble synthetic food colour Tartrazine (35mg/kg) and Sunset yellow FCF (11mg/kg) found present. (not declared on the label)"**का होना पाया गया है।

tartrazine uses foodstuff & herbs:-
Tartrazine (E102 or FD&C Yellow 5) is a widely used synthetic lemon-yellow azo dye known for its stability and low cost. It is commonly used in processed foods, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics, particularly to impart yellow or green shades (when mixed with blue dyes).
Health and Regulatory Notes:-
Allergic Reactions: Tartrazine can cause allergic-type reactions (asthma, chronic urticaria) in a small percentage of the population.
Labeling Requirement: In the EU, products containing tartrazine must carry the warning "may have an adverse effect on activity and attention in children".
Acceptable Daily Intake (ADI): JECFA set the ADI at 0–10 mg/kg of body weight.
Adulteration Risk: Tartrazine can be used to adulterate herbs and spices, so checking for purity in spices like turmeric is recommended.
तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण 1 लगायत 4 को खाद्य पदार्थ राजमोग (लोटस ब्रान्ड) 1.25 किलोग्राम पैक मिथ्याछाप (**Misbranded Food**) प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत पृथक–पृथक रूप से जुर्माना राशि 10,000– 10,000 रूपये (अक्षरे–दस–दस हजार रूपये) कुल चालीस हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं । पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested